Bail Application/713/2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–04, फर्रुखाबाद।

उपस्थितः– दीपेन्द्र कुमार सिंह–I ... ...एच०जे०एस० J.O.Code–U.P.2720

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–713/2026

सत्र वाद संख्या–36/2026

CNR Number–UPFR010025612026

यादराम पुत्र रामनारायण, निवासी वसंतपुर, थाना नवाबगंज, जनपद फर्रूखाबाद।

बनाम

उ०प्र० राज्य सरकार।

मु०अ०सं०–2073/2022

धारा–135(1)(a) **भारतीय विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2003**

थाना–**नवाबगंज**

जिला–**फर्रूखाबाद**

दिनांक: 17.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त यादराम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त मुकदमे में जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है, इस कारण न्यायिक अभिरक्षा में होना माना गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, "प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध असत्य एवं मिथ्या कथनों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को लोगों के कहने पर नामजद कर दिया गया। उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष व स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि, उपभोक्ता पर वाद से सम्बन्धित निर्धारण धनराशि 20,811/– एवं शमन शुल्क 8,000/– एवं कुल धनराशि 28,811/– जमा करना शेष है।

4. **मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को बहस के दौरान सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।**

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि, प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय विद्युत

Digitally signed by DEEPENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.17 16:28:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधिनियम (संशोधन), 2003 की धारा–135(1)(a) का अभियोग लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार, उपभोक्ता पर वाद से सम्बन्धित निर्धारण धनराशि 20,811/– एवं शमन शुल्क 8,000/– एवं कुल धनराशि 28,811/– जमा करना शेष है। प्रस्तुत प्रकरण तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय एवं शमनीय प्रकृति का है।

6. इस भाँति, मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और मामले के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. प्रार्थी/अभियुक्त **यादराम** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी द्वारा रुपये 25,000/– का एक प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पर निर्गत करने पर जमानत पर मुक्त किया जाता है। प्रार्थी नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

दिनांकः–17.06.2026

(दीपेन्द्र कुमार सिंह–I)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4, फर्रूखाबाद।